

मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

बुलन्दशहर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत न्यायालय परिसर, बुलन्दशहर में न्यायिक कार्य प्रारम्भ होना अवगत कराते हुए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नित्य प्रतिदिन 3.00 बजे कोविड-19 के थ्रेट लेवल की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि गृह(गोपन), अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के कार्यालय के पत्र संख्या 2360/2020-सी0एक्स-3 दिनांक 26 नवम्बर, 2020 के द्वारा कन्टैनमेंट जोन की सीमा/परिधि निम्नवत निर्धारित करते हुये गृह (गोपन), अनुभाग-3 उ0प्र0शासन, लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या 2127/2020-सी0एक्स-3 दिनांक 03.10.2020 इस सीमा तक ही संशोधित किया गया है। शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

- (1) कोरोना पॉजिटिव का सिंगल केस पाये जाने पर 50 मीटर की परिधि में कन्टैनमेंट जोन होगा।
- (2) एक से अधिक केस पाये जाने पर, कलस्टर की स्थिति में, कन्टैनमेंट जोन का दायरा 100 मीटर की परिधि का होगा।
- (3) यदि एक ही आवास में एक से अधिक सक्रिय केस पाये जाये तो उस दशा में उसे सिंगल केस मानकर ही कन्टैनमेंट जोन निर्धारित किया जाये।

गृह (गोपन), अनुभाग-3 के आदेश संख्या 2358/2020/सीएक्स-3 दिनांक 30 नवम्बर, 2020 के अनुसार कन्टैनमेंट जोन के अन्दर निम्न कार्यवाहियों अनिवार्यतः की जाए-

- (a) केवल अति आवश्यक गतिविधियाँ ही अनुमन्य की जाए।
- (b) कन्टैनमेंट जोन के भीतर एवं बाहर चिकित्सकीय आपातकालीन सुविधाओं तथा आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के आवागमन को नियंत्रित करने हेतु सख्त मानक अपनाये जाए।
- (c) इस उद्देश्य हेतु गठित सर्विलान्स टीम द्वारा प्रत्येक मकान (House to house) की सघन निगरानी की जाय।
- (d) निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड-19 की टेस्टिंग की जाए।
- (e) कोविड-19 पॉजिटिव पाये गये व्यक्तियों के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों की सूची (कान्ट्रैक्ट ट्रेसिंग) तैयार की जाए तथा इनके चिन्हाकन, ट्रेसिंग, क्वारेन्टाईन तथा 14 दिनों तक निरन्तर अनुश्रवण की कार्यवाही की जानी चाहिये (यथा संभव पॉजिटिव पाये जाने के 72 घण्टे की भीतर ही 80 प्रतिशत सम्पर्क चिन्हित कर लिये जाए)।
- (f) कोविड-19 मरीजों को तत्काल आईसोलेशन (यदि वो होम आइसोलेशन की शर्तें पूर्ण करते हैं तो होम आइसोलेशन) करते हुये चिकित्सकीय उपचार प्रारम्भ कर दिया जाए।
- (g) आवश्यकतानुसार हॉस्पिटल में भर्ती कर उपचार किया जाए तथा उपचार की शतत निगरानी रखी जाए।
- (h) आई0एल0आई/एस0ए0आर0आई0 के प्रकरण में निरन्तर निगरानी रखते हुये स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाए। बफर जोन में फीवर क्लिनिक अथवा मौबाईल चिकित्सा यूनिट को सक्रीय किये जाने पर विचार किया जाए।
- (I) कोविड-19 से संबंधित अनुमन्य गतिविधियों (आचरण) (Appropriate behaviour) के विषय में आम समुदाय को निरन्तर जागरूक किया जाए।

प्रभारी निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, बुलन्दशहर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2021 दिनांक 07.01.2021 में अवगत कराया गया है कि "प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण फैलने के कारण लागू लॉकडाउन को विगत काफी समय से खोला जा चुका है। यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु अभी भी बस स्टैण्डों, सब्जी मंडियों, साप्ताहिक बाजारों व स्थानीय बाजारों में कुछ व्यक्तियों द्वारा मास्क न लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किये जाने आदि के कारण संक्रमण फैलने की सम्भावना बनी रहती है।"



महोदय को यह भी अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर में 51 हॉट स्पॉट चिन्हित कर सील किये गये हैं, जिनमें 18-आवास विकास प्रथम (एच0एफ0एस/एस0एफ0एच0) नगरीय क्षेत्र, बुलन्दशहर, मौ0 इन्दिरा नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, नया गांव चांदपुर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, रामा एन्क्लेव, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 साठा, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 सूर्या नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, शास्त्री नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 राधा नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, डी0 ब्लॉक यमुनापुरम, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, सिविल लाईन, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, देवीपुरा द्वितीय, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, डी-85, गंगानगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 शिवपुरी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 प्रेमनगर, नगरीय क्षेत्र, बुलन्दशहर, मौ0 शक्ति नगर, सिविल लाईन, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 नजीमपुरा भूड, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, लल्ला बाबू रोड, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, 3/11 डी0एम0 रोड, बुलन्दशहर बने हैं। इसके अतिरिक्त जनपद बुलन्दशहर में 33 हॉटस्पॉट-एन0ए0पी0एस0 टाउनशिप नगरीय क्षेत्र नरौरा, तहसील डिबाई, सीआईएसएफ कालोनी नगरीय क्षेत्र नरौरा, तहसील डिबाई, ग्राम बराल, वि0ख0 गुलावठी, तहसील बुलन्दशहर, मौ0 हीरा कालोनी, नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद, मौ0 खत्रीवाड़ा, नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद, विकास नगर, कस्बा वि0ख0 व तहसील स्याना, ग्राम खनपुरा, वि0ख0 जहांगीराबाद, तहसील अनूपशहर, ग्राम तलवार, वि0ख0 व तहसील डिबाई, ग्राम ईसापुर, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद, टीचर्स कालोनी, कस्बा औरंगाबाद, तहसील बुलन्दशहर, मौ0 गांधी गंज, नगरीय क्षेत्र गुलावठी, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम सैदमपुर, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम जोखाबाद, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम फजलपुर, वि0ख0 पहासू, तहसील शिकारपुर, ग्राम बरासऊ, वि0ख0 व तहसील शिकारपुर, ग्राम ढकरौली, वि0ख0 जहांगीराबाद, तहसील स्याना, ग्राम अकबरपुर, वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम फतहपुर मकरन्दपुर थाना ककोड वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद, गली नं0-1, चन्द्रलोक कालोनी, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम सलेमपुर कायस्थ, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम असावर, वि0ख0 बी0बी0नगर, तहसील बुलन्दशहर, मौ0 नई बस्ती, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम भौरा, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम बुटैना, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम ढकौली, वि0ख0 अगौता, तहसील बुलन्दशहर, मौ0 करम-धरम नरौरा, तहसील डिबाई, ग्राम जुनैदपुर, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम शिवाली, वि0ख0 लखावठी, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम अट्टा, वि0ख0 बी0बी0नगर, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम बामनी, वि0ख0 दानपुर, तहसील डिबाई, ग्राम उदयगढ़ी, वि0ख0 व तहसील डिबाई, ग्राम हिम्मतगढ़ी, वि0ख0 दानपुर, तहसील डिबाई, ग्राम अनीवास, वि0ख0 व तहसील अनूपशहर बने हैं, जिनमें पाये गये पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या संलग्न कर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

आज दिनांक 07.01.2021 तक जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या-6058 है, 714 व्यक्ति होम क्वारेन्टाईन में हैं। जनपद में 92 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।

उपरोक्त परिस्थितियों में यदि वादकारियों के रूप में काफी लोग न्यायालय में पहुँचें तो माननीय न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण में सक्रमण होने की सम्भावना बढ़ सकती है। आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त

अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,
बुलन्दशहर।

स्थानीय

संकेत: मूल.आई.यू./सी-34/2020

स्थानीय अभिसूचना इकाई

बुलन्दशहर

दिनांक-जनवरी 7, 2021

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)

जनपद बुलन्दशहर ।

कृपया अवगत कराना है कि प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण फैलने के कारण लागू लॉकडाउन को विगत काफी समय से खोला जा चुका है। यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु अभी भी बस स्टेण्डों, सब्जी मंडियों, साप्ताहिक बाजारों व स्थानीय बाजारों में कुछ व्यक्तियों द्वारा मास्क न लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किये जाने आदि के कारण संक्रमण फैलने की संभावना बनी रहती है।

अतः उक्त के दृष्टिगत लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने हेतु समझाया जाना तथा समुचित सतर्कता/पुलिस प्रबन्ध सहित आवश्यक कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

7/1/21

प्रभारी निरीक्षक

स्थानीय अभिसूचना इकाई

बुलन्दशहर